प्ररूप 1

उपदान, साधारण भविष्य निधि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्रारूप

[केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 53, साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 का नियम 5 और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 का पैरा 19.7 देखें]

मैं ( )नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूँ और उपरोक्त पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :-

(i) कोई उपदान, जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के अधीन प्राधिकृत किया जाए ;

(ii) कोई रकम, जो साधारण भविष्य निधि में मेरे खाते में हो ;

(iii) कोई रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अधीन स्वीकृत की जाए ।

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/ पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभेगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5), में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशन को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीखः ग्वालियर,

सरकारी सेवक से हस्ताक्षर
मोबा. नं. -

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतः स्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) म.प्र, ग्वालियर द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारिख..............................प्राप्त किए:–

1. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972
2. साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाए) नियम, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ....................खंड................ पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्ट कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम,, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख.... ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पुर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेयक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा मे फायदाग्राहियो के कब्जे में आ सके ।
प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररूप के दोनो पृष्ठों पर करेगा ।